

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय

(केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 क 25 अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

कोनी , बिलासपुर-495009 (छ.ग.)

दूरभाष: 07752-260049 . फ़ैक्स: 07752-260240

वेबसाईट: www.ggu.ac.in

Guru Ghasidas Vishwavidyalaya

(A Central University Established under the Central University Act, 2009 no. 25 of 2009)

Koni, Bilaspur- 495009 (C.G.)

Phone: 07752-260049, Fax: 07752- 260240

Website : www.ggu.ac.in



क्रमांक / 641 / गोप. / अ.सा.प्र. / 2017,

बिलासपुर, दिनांक 17 JUL 2017

// अधिसूचना //

सम सेमेस्टर परीक्षा 2016-17 में शिक्षण विभाग से प्राप्त अनुचित साधन प्रयोग के प्रकरणों पर अनुचित साधन निराकरण समिति की अनुशंसा को मान्य करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-

- 1/ छात्र मयंक श्रीवास- बी.एस.सी. चतुर्थ सेमेस्टर, (कम्प्यूटर साइंस) अनुक्रमांक 15207030, को श्रेणी 'ए' में प्रावधानित दण्ड से दंडित किया जाता है ।
श्रेणी 'ए' के अंतर्गत प्रावधानित दण्ड निम्नानुसार है :-

No Punishment be decided on the basis of examiner's report showing irrelevancy of the material .

आदेशानुसार,

परीक्षा नियंत्रक (कार्यवाहक)

बिलासपुर, दिनांक- 17 JUL 2017

पृ.क्रमांक / 642 / गोप. / अ.सा.प्र. / 2017,

प्रतिलिपि:-

- 1/ कुलपति / कुलसचिव के सचिव / निज सहायक को कुलपति महोदया / कुलसचिवजी के सूचनार्थ ।

2/ विभागाध्यक्ष, संबंधित विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । **कम्प्यूटर साइंस विभाग**

3/ अधिष्ठाता, छात्र कल्याण / सहायक- कुलसचिव (परीक्षा) को सूचनार्थ ।

4/ अनुभाग अधिकारी / संबंधित प्रभारी, परीक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

5/ संबंधित परीक्षार्थी को सूचनार्थ ।

6/ विभागाध्यक्ष, संगणक संस्थान की ओर विश्वविद्यालय वेबसाइट में अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

सहायक कुलसचिव (गोपनीय)

5911-1750-18
17-07-2017